The 22nd August, 1955

No. III/R1-402/55A-7569- In exercies of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India, and in supersession of rules 1 to 3 of the rules published in Appointment Department notification no. 281-A, dated the 22nd January, 1938 as amended from time to time, and all the rules published in Appointment Department notification no. 280-A, dated 22nd Junuary 1938, as amended from time to time, the Governor of Bihar, after consultation with the High Court of Judicature at Patna and the Bihar Public Service Commission, is pleased to make the following rules for regulating the recruitment to the Bihar Judicial Service.

22वीं अगस्त, 1955

सं० III/आर० 1–402/55ए–7569– भारत संविधान की धारा 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं० 281–ए, तारीख 22 जनवरी 1938 में प्रकाशित एवं समय–समय पर यथासंशोधित नियमावली के 1 से 3 नियमों तथा नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं० 280–ए, तारीख 22 जनवरी 1938 में प्रकाशित एवं समय–समय पर यथा–संशोधित सभी नियमों का अवक्रमण करते हुए, बिहार राज्यपाल, पटना उच्च–न्यायालय और बिहार लोक–सेवा आयोग से परामर्श के बाद बिहार न्यायिक सेवा में भरती को विनियमित करने के लिये निम्न नियमावली बनाते हैं–

THE BIHAR JUDICIAL SERVICE (RECRUITMENT) RULES

1. *(a) Short title and commencement.*— These rules may be called the Bihar Judicial Service (Recruitment) Rules, 1955 and shall take effect from the date of this notification.

(b) Definition.— In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) 'Commission' means the Bihar Public Service Commission;

(ii) 'Government' means the Government of Bihar;

(iii) ' Governor ' means the Governor of Bihar;

(iv) ' High Court' means the High Court of Judicature at Patna;

(v) 'Scheduled Castes' means the castes specified in Part I of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950;

(vi) 'Scheduled Tribes' means the tribes specified in Part II of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; and

(vii) 'Service' means the Bihar Judicial Service which includes posts of Subordinate Judges and Munsifs.

बिहार न्यायिक सेवा (भरती) नियमावली

1. (क) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।– यह नियमावली बिहार न्यायिक सेवा (भरती) नियमावली, 1955 कहलाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

(ख) परिभाषाएँ।– इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो–

(i) ''आयोग'' से तात्पर्य है बिहार लोक–सेवा आयोग;

(ii) ''सरकार'' से तात्पर्य है बिहार सरकार;

(iii) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य है बिहार–राज्यपाल;

(iv) ''उच्च न्यायालय'' से तात्पर्य है पटना उच्च–न्यायालय;

(v) ''अनुसूचित जातियाँ'' से तात्पर्य है संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 के भाग 1 में उल्लेखित जातियाँ;

(vi) "अनुसूचित जन–जातियाँ" से तात्पर्य है संविधान (अनुसूचित जन–जातियाँ) आदेश, 1950 के भाग 2 में उल्लिखित जन–जातियाँ, और

(vii) "सेवा" से तात्पर्य है बिहार न्यायिक–सेवा जिसके अन्तर्गत अवर–न्यायाधीशों और मुंसिफों के पद भी हैं।

*2. (a) Recruitment to the posts of Munsifs shall be made in accordance with these Rules.

(b) Recruitment to the pots of Subordinates Judge shall be made by the High Court, by promotion of Munsifs confirmed under rule 24, or appointed under rule 26.

*2. (क) मुंसिफ के पदों पर भरती इन नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) अधीनस्थ न्यायाधीशों के पद पर भरती उच्च–न्यायालय वैसे मुंसिफों को प्रोन्नति देकर करेगा जो नियम 24 के अधीन संपुष्ट या नियम 26 के अधीन नियुक्त किये गये हैं।

*3. The Governor shall decide in each year the number of vacancies in the posts of Munsifs to be filled by appointments to be made on a substantive basis or on a temporary basis or both.

*3. राज्यपाल प्रतिवर्ष यह विनिश्चित करेंगे कि मुंसिफों के पदों की कितनी रिक्तियाँ मौलिक आधार पर अस्थायी आधार पर अथवा दोनों आधार पर नियुक्ति द्वारा भरी जायेंगी।

4. The Commission shall announce in each year, in such manner as they think fit, the number of vacancies to be filled that year by direct recruitment on the results of a competitive examination and shall invite applications from candidates eligible for appointment under these Rules. The competitive examination will be conducted by the Commission and will normally be held between the months of November and February.

4. आयोग प्रतिवर्ष यथोचित रीति से प्रतियोगिता–परीक्षाफल के आधार पर उस वर्ष सीधी भरती से भरी जानेवाली रिक्तियाँ विज्ञापित करेगा और जो उम्मीदवार इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पात्र हों, उनसे आवेदन माँगेगा। प्रतियोगिता–परीक्षा का संचालन आयोग करेगा और परीक्षा आमतौर से नवम्बर तथा फरवरी महीनों के बीच होगी।

5. The Commission may fix a limit in any particular year as to the number of eligible candidates to be admitted to the examination and, if the number of candidates exceeds the limit fixed, the Commission may make a preliminary selection of candidates to be admitted to the written examination , on the basis of their academic records:

Provided that no candidate of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who is eligible under these Rules shall be excluded from appearing at the written examination.

5. आयोग किसी खास वर्ष में परीक्षा में प्रवेश के लिये योग्य उम्मीदवारों की संख्या सीमित कर सकेगा और यदि उम्मीदवारों की संख्या नियत सीमा से अधिक हो, तो वह लिखित परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों का प्रारंभिक चुनाव उनके शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर कर सकेगा:

परन्तु अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जन–जातियों के किसी उम्मीदवार को, जो इस नियमावली के अधीन पात्र हो, लिखित परीक्षा में बैठने से रोका न जाएगा।

*6. A candidate may be of either sex, and must—

(a) be under 31 years and over 22 years of age on the 1st day of August preceding the year in which the examination is held :

Provided that a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe must be under 36 years and over 22 years of age on the said date:

*Substituted vide Notification no. 18241-P. dated 29th September 1972.

*अधिसूचना सं० 18421–पी०, दिनांक 29 सितम्बर 1972 के अनुसार प्रतिस्थापित।

Provided further that no candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be allowed to take more than five chances at the examination;

(b) be a graduate in Law of a University recognised by the Governor or a Barrister-at-Law or a member of the Faculty of Advocates in Scotland, or an Attorney on the rolls of a High Court, or possess other educational qualifications which the Governor may, after consultation with the High Court and the Commissions, decide to be equivalent to those prescribed above; and

(c) be a practitioner at the Bar of at least one year's continuous standing on the date of the advertisement.

*6. उम्मीदार पुरुष या महिला कोई भी हो सकेगा, और

(क) उसकी उम्र जिस वर्ष परीक्षा हो उसके ठीक पूववर्ती वर्ष की 1ली अगस्त को 31 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिये :

परन्तु, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवार की उम्र उक्त तारीख को 36 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिये :

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे उम्मीदरवार को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति का न हो, परीक्षा में पाँच बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) वह राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो या बैरिस्टर–ऐट–लॉ हो या स्कॉटलैंड के अधिवक्ता अधिकाय (फैकल्टी ऑफ एडभोकेट) का सदस्य हो या किसी उच्च न्यायालय की अटर्नी (न्यायवादी) नामावली में दर्ज अटर्नी हो या कोई ऐसी शैक्षिक योग्यता रखता हो जिसे राज्यपाल, उच्च न्यायालय और आयोग से परामर्श करने के बाद उपर्युक्त विहित योग्यता के समकक्ष विनिश्चित करें; और

(ग) वह विज्ञापन की तारीख को लगातार कम–से–कम एक वर्ष तक विधि व्यवसायी रहा हो।

*6- A. No person who has more than one wife living shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the State Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

*6 क. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के विशेष आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकेगी।

7. (a) A candidate must be of sound health, good physique and active habits and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of a member of the Service. A candidate who is found after examination by a Medical Board not to satisfy these requirements will not be selected for appointment.

(b) A candidate must satisfy the Commission that his character is such as to qualify him for appointment to the Service.

7. (क) उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर और कर्मठ हो, तथा उसे कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के सुचारु रूप से संपादन में बाधा पहुँचने की संभावना हो। यदि चिकित्सक–बोर्ड द्वारा जाँच के बाद उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाए तो वह नियुक्ति के लिये न चुना जाएगा।

(ख) उम्मीदवार को आयोग को समाधान करना होगा कि उसका चरित्र ऐसा है कि वह सेवा में नियुक्त किया जा सकता है।

---

*Inserted vide Notification no. 14996-A. dated the 16th December 1958.

*अधिसूचना सं० 14996–ए, दिनांक 16 दिसम्बर 1958 के अनुसार अन्तःस्थापित।

8. A candidate shall apply to be admitted to the examination in his own handwriting in the prescribed form to the Secretary to the Commission, not later than such date as may be notified by the Commission in this behalf in each year. The prescribed form and a copy of these rules may be obtained from the Secretary to the Commission.

8. उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिये आयोग के सचिव के पास प्रति वर्ष आयोग द्वारा इसके लिये अधिसूचित तारीख तक, विहित फारम पर अपने हाथ से लिखकर आवेदन करेगा। विहित फारम और इस नियमावली की प्रति आयोग के सचिव से प्राप्त की जा सकती है।

9. With his application a candidate must submit—

(i) evidence that he holds one of the educational qualifications referred to in clause (b) of rule 6 in the form of a certificate from the Registrar of the University in which he took his degree in law, or a certificate that he is a Barrister-at-Law or a member of the Faculty of Advocates in Scotland, or an Attorney on the rolls of a High Court or a certificate that he possesses any other educational qualification which the Governor may have decided under clause (b) of the rule 6 to be equivalent to the above qualifications;

(ii) certificates of character and conduct from the heads of all the colleges at which he has studied since he passed Matriculation Examination or its equivalent;

(iii) The names of two persons as *references* who know him in private life and are not his near relatives;

NOTE- A candidate must not file written testimonials of such persons and the references furnished by him should not include college Professors or Principals unless they know the candidate at home.

(iv) a certificate from any registered medical practitioner in the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission;

(v) evidence of age, which should ordinarily be a copy of the Matriculation certificate or its equivalent;

(vi) a certificate showing the duration of the candidate's practice at the bar and also his suitability for appointment to the Service—

(a) in the case of a candidate who has ordinarily practised in the High Court, from the Registrar of that Court, or

(b) in the case of a candidate who has ordinarily practised in Courts subordinate to the High Court, from the District Judge of the district in which he ordinarily practises.

NOTE- The certificates and other documents required should be true copies of the originals and each of them should be certified by a gazetted officer that he has seen its original and that the copy is a true copy. The candidates may be required to produce the originals before the Commission at the time of the *viva voce* test.

9. उम्मीदवार को अपने आवेदन–पत्र के साथ–

(i) जिस विश्वविद्यालय से उसने विधि की उपाधि (डिग्री) प्राप्त की हो, उसके निबंधक के प्रमाण –पत्र के रूप में इस बात का साक्ष्य कि वह नियम 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताओं में से कोई योग्यता रखता

है अथवा इस बात का प्रमाण–पत्र कि वह विवक्ता (बैरिस्टर) है या स्कॉटलैंड के अधिवक्ता–अधिकाय (फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स) का सदस्य है या किसी उच्च न्यायालय का प्राभिकर्त्ता है अथवा इस बात का प्रमाण–पत्र कि वह ऐसी अन्य शैक्षिक योग्यता रखता है, जिसे राज्यपाल ने नियम 6 के खंड (ख) के अधीन उक्त योग्यताओं के समकक्ष निश्चित किया है;

(ii) प्रवेशिका (मैट्रिकुलेशन) या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, जिन–जिन महाविद्यालयों में उसने अध्ययन किया हो, उनके प्राचार्यों से चरित्र और आचार के प्रमाण–पत्र;

(iii) निर्देशक के रूप में दो ऐसे व्यक्तियों के नाम जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हों और उसके निकट संबंधी न हों;

टिप्पणी– उम्मीदवार को उन व्यक्तियों के लिखित प्रशंसा पत्र न देने चाहिये और उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों में महाविद्यालय के ऐसे प्राध्यापक या प्राचार्य न हों, जो उसके गृह–जीवन से परिचित नहीं हैं।

(iv) विहित फॉरम पर, जो आयोग के सचिव से मिल सकेगा, किसी निबंधित चिकित्सक का प्रमाण–पत्र;

(v) उम्र का साक्ष्य, जो साधारणतः प्रवेशिका (मैट्रिकुलेशन) प्रमाण–पत्र उसके समकक्ष प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि होगा;

(vi) उम्मीदवार द्वारा की गयी वकालत की अवधि और सेवा में नियुक्ति के लिये उसकी उपयुक्तता के संबंध में–

(क) जिस उम्मीदवार ने साधारणतः उच्च न्यायालय में वकालत की हो, उसके मामले में, उक्त न्यायालय के निबंधक का प्रमाण–पत्र, या

(ख) जिस उम्मीदवार ने साधारणतः उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में वकालत की हो, उसके मामले में वह साधारणतः जिस जिले में वकालत करता हो उसके जिला–न्यायाधीश का प्रमाण–पत्र अवश्य पेश करे।

टिप्पणी– अपेक्षित प्रमाण–पत्र तथा अन्य लेख्य, मूलों की सच्ची प्रतिलिपियाँ हों और ऐसी हर प्रतिलिपि किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि उसने मूल को देखा है और वह प्रतिलिपि सच्ची प्रतिलिपि है। उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के समय मूल को आयोग के सामने पेश करने की आज्ञा दी जा सकेगी।

Supplementary Instructions

The age of a candidate as recorded in his Matriculation certificate or its equivalent will be regarded as correct unless there is proof to the contrary. If a candidate claims that his age is other than that recorded in his Matriculation certificate or its equivalent, he must submit with his applications the evidence on which he bases his claim. In such a case, he will be required to furnish, among other evidence, a satisfactory explanation of the circumstances in which a wrong age was recorded on his form of application for permission to appear at the Matriculation examination or its equivalent. He will also be required to submit a statement of any attempts made by him to have the University records amended, and of the results of such attempts.

पूरक अनुदेश

उम्मीदवार की जो उम्र प्रवेशिका (मैट्रिकुलेशन) या उसके समकक्ष प्रमाण–पत्र में लिखी हो, उसे ही सही माना जायेगा, जबतक कि इसके प्रतिकूल कोई सबूत न हो। यदि कोई उम्मीदवार दावा करे कि उसकी उम्र प्रवेशिका या उसके समकक्ष प्रमाण–पत्र में अभिलिखित उम्र से भिन्न है, तो उसे अपने आवेदन के साथ वह साक्ष्य पेश करना होगा, जिस पर उसका दावा आधारित हो। ऐसी दशा में उसे अन्य साक्ष्यों के साथ उन परिस्थितियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, जिनमें प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये दिये गये आवेदन–पत्र पर गलत उम्र लिखी गयी थी। उसने विश्वविद्यालय के अभिलेखों में संशोधन के लिये कौन से प्रयत्न किए और उनके क्या फल हुए, इसका विवरण भी उसे प्रस्तुत करना होगा।

*10. Candidates must pay to the Commission a consolidated examination fee of Rs. 55 (Rs. 13 and 75 Paise in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) of which Rs. 1 should be paid by means of Crossed Indian Postal Order or Treasury Challan when asking for application form and connected documents and the balance when they submit their applications :
Provided that the Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee in cases of *bona fide* displaced persons from Pakistan who are not in a position to pay the prescribed fee.

*10. उम्मीदवार आयोग को 55 रु० (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवारों की दशा में 13 रु० 75 पैसे) समेकित परीक्षा फीस का भुगतान करेगा जिसमें से 1रु० का आवेदन–पत्र और सम्बद्ध कागज–पत्र माँगते समय क्रास्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर या कोषागार के जरिये भुगतान किया जायेगा और शेष रकम आवेदन–पत्र उपस्थापित करते समय भुगतायी जायेगी :
परन्तु आयोग पाकिस्तान से वस्तुतः विस्थापित उन व्यक्तियों की दशा में, जो विहित फीस चुकाने की स्थिति में नहीं हों, स्वविवेकानुसार यह फीस माफ कर सकेगा।

11. (1) No candidate will be admitted to the written examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

(2) Candidates must see that they are eligible and must decide definitely to apply before depositing the fees. In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of, or above, the rank of a Civil Assistant Surgeon before applying for admission to the examination. No claim for refund of any of these fees will ordinarily be entertained, except to the extent stated in Appendix 'B' to these rules, nor can they be held in reserve for any other examination of selection.

11. (1) किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने न दिया जाएगा जबतक कि उसके पास आयोग का प्रवेश–पत्र न हो।

(2) उम्मीदवारों को फीस जमा करने के पहले यह देख लेना चाहिये कि वे पात्र हैं, और आवेदन करने के लिये निश्चित रूप से निर्णय कर लेना चाहिये। कहीं अन्त में निराश न होना पड़े, इसके लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन करने के पहले वे असैनिक सहायक शल्य–चिकित्सक की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी सरकारी चिकित्सा–पदाधिकारी से अपनी जाँच करा लें। इस नियमावली के परिशिष्ट 'ख' में दी गई सीमा को छोड़, इनमें से किसी भी फीस की वापसी के लिये कोई दावा साधारणतया न सुना जाएगा और न उन्हें किसी अन्य परीक्षा या चुनाव के लिये रक्षित ही रखा जा सकेगा।

12. Notwithstanding anything contained in the foregoing rules, the Commission may require a candidate to furnish any such additional proof on any point as to his suitability as the Commission may deem necessary.

12. पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग किसी उम्मीदवार से उसकी उपयुक्तता के बारे में किसी बात का कोई ऐसा अतिरिक्त सबूत माँग सकता है, जिसे वह (आयोग) आवश्यक समझे।

13. Subject to the provision of these rules, the decision of the Commission as to the eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

13. इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**Substituted vide Notification no. 8151-A. dated the 10th June 1959.*

**अधिसूचना सं० 8151–ए. दिनांक 10 जून 1959 के अनुसार प्रतिस्थापित।*

14. The examination shall be held according to the syllabus specified in Appendix 'C' to these rules which are liable to alteration from time to time by Government after consultation with the High Court and the Commission.

14. परीक्षा, इस नियमावली के परिशिष्ट "ग" में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी जिसमें सरकार उच्च न्यायालय और आयोग से परामर्श के बाद, समय–समय पर परिवर्तन कर सकेगी।

*14. A If any candidate is found guilty of—

(i) restoring to any irregular or improper means for obtaining admission to the examination; or

(ii) impersonating another candidate or being impersonated by any person at the written or *viva voce* examination ; or

(iii) submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(iv) making statements which are incorrect or false; or suppressing material information; or

(v) communicating with any person for the purpose of getting help or for aiding any other candidates; or

(vi) using any other unfair means in the examination hall or

(vii) unruly behaviour in the examination hall or violating any instruction issued by the Commission;

he may be expelled from the examination hall by the Commission or by any person authorised by them in this behalf. In such cases, the Commission may also invalidate his answer books or deduct such marks as they consider fit and in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, the candidate may be debarred either permanently or for a specified period—

(a) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(b) by the State Government from employment under Government .

*14–(क) यदि कोई उम्मीदवार–

(i) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अनियमित या अनुचित तरीका अपनाने; अथवा

(ii) लिखित या मौखिक परीक्षा में किसी दूसरे उम्मीदवार के बदले बैठने या किसी अन्य व्यक्ति को अपने बदले बैठाने; अथवा

(iii) जाली या गड़बड़ की हुई दस्तावेज या दस्तावेजें उपस्थापित करने; अथवा

(iv) गलत या मिथ्या बयान देने; अथवा तात्विक जानकारी दबाने; अथवा

(v) सहायता लेने या किसी अन्य उम्मीदवार को सहायता देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से सम्पर्क करने; अथवा

(vi) परीक्षा–भवन में किसी अन्य अनुचित उपाय का अवलम्बन करने; अथवा

(vii) परीक्षा भवन में उच्छृंखल व्यवहार करने या आयोग द्वारा निर्गत किसी अनुदेश का उल्लंघन करने; का दोषी पाया जाय, तो आयोग या इसके लिये उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसे परीक्षा–

**Inserted vide Notification no. 11639-A, dated 18th September 1959.*

*अधिसूचना सं० 11639–ए. दिनांक 18 सितम्बर 1959 के अनुसार अन्तःस्थापित।

भवन से निकाल सकेगा। ऐसी दशाओं में आयोग उसकी उत्तर–पुस्तिकाओं को रद्द भी कर सकेगा या उतना अंक काट भी सकेगा, जितना वह उचित समझे, तथा इसके लिये दांडिक अभियोजन चलाने के अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार को सदा के लिये या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये–

(क) आयोग, उम्मीदवारों के चयन के लिये अपने द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से वर्जित कर सकेगा; और

(ख) राज्य सरकार अपने अधीन कोई नियोजन पाने से वर्जित कर सकेगी।

*15. (a) The Commission shall have discretion to fix the qualifying marks in any or all the subjects at the written examination in consultation with the Patna High Court.

(b) The minimum qualifying marks for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall not be higher than 35 percent unless the number of such candidates qualifying at the written test according to the standards applied for other candidates is considerably in excess of the number of candidates required to fill all the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :

Provided that in determining the suitability of a particular candidate for appointment, the total marks obtained at the written examination, and not the marks obtained in any particular subject or subjects, shall be taken into consideration.

(c) There shall be no qualifying marks for the *viva voce* test.

*15.(क) आयोग स्वविवेकानुसार पटना उच्च न्यायालय से परामर्श करके लिखित परीक्षा के किसी या सभी विषयों में योग्यता–प्रदायी अंक निर्धारित कर सकेगा।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नतम योग्यता–प्रदायी अंक 35 प्रतिशत से अधिक न होगा, बशर्ते कि अन्य उम्मीदवारों के लिये लागू मानक अंक के अनुसार लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के लिये प्रारक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित उम्मीदवारों की संख्या से काफी अधिक न हो :

परन्तु नियुक्ति के लिये किसी खास उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने में, लिखित परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंक ही, न कि किसी खास विषय या विषयों में प्राप्त अंक विचारणीय होंगे।

(ग) मौखिक परीक्षा के लिए कोई योग्यता–प्रदायी अंक न होगा।

16. The Commission shall consult the Chief Justice of the Patna High Court confidentially in the matter of selection of examiners for the Law papers prescribed for the written examination.

16. आयोग, लिखित परीक्षा के लिये विहित विधि–पत्रों के परीक्षकों के चुनाव के विषय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य–न्यायाधिपति से गोपनीय रूप में सलाह लेगा।

17. On the basis of the marks obtained at the written examination , the Commission shall arrange for *viva voce* test of the candidates who have qualified at the written examination according to rule 15 :

Provided that in exceptional circumstances and with the prior approval of Government, the Commission may, at their descretion, admit candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the *viva voce* test even though they may not have obtained the minimum qualifying marks at the written test.

Substituted vide Notification no. 11639-A, dated 18th September 1959.

अधिसूचना सं० 11639–ए, दिनांक 18 सितम्बर 1959 के अनुसार प्रतिस्थापित।

17. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग उन उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा की व्यवस्था करेगा, जो नियम 15 के अनुसार लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त कर चुके हों :
परन्तु खास परिस्थितियों में और सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आयोग अपने विवेक से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ले सकेगा, यद्यपि उन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यताप्रदायी अंक न प्राप्त किए हों।

18. The Chief Justice may appoint an officer to present the High Court at the *viva voce* test. The officer so appointed shall be present at the *viva voce* test and shall advise the Commission in the fitness of the candidates from the point of the view of special qualications for the Service , but he will not be responsible for the selection of the candidates. The Commission in forwarding their recommendations shall draw the attention of Government to any matter in regard to which they differ from the officer so appointed.

18. मौखिक परीक्षा में उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये मुख्य न्यायाधिपति एक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा। इस तरह नियुक्त पदाधिकारी मौखिक परीक्षा में उपस्थित रहेगा और सेवा के लिये विशेष योग्यताओं के दृष्टि–बिंदु से उम्मीदवार की उपयुक्तता पर आयोग को सलाह देगा, किन्तु वह उम्मीदवारों के चुनाव के लिये उत्तरदायी न होगा। आयोग अपनी सिफारिशें भेजते समय, सरकार का ध्यान ऐसी किसी बात की ओर आकृष्ट करेगा जिसके बारे में उसे इस तरह नियुक्त पदाधिकारी से मतभेद हो।

19. The marks obtained at the *viva voce* test shall be added to the marks obtained at the written examination. The names of candidates will then be arranged by the Commission in order of merit. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the order shall be determined in accordance with the marks secured at the written examination. Should the marks secured at the written examination of the candidates concerned be also equal then the order shall be decided in accordance with the total number of marks obtained in the optional papers. From the list of candidates so arranged the Commission shall nominate such number of candidates as may be fixed by the Governor in order of their position in the list. The nominations so made shall be submitted to the Governor by such date in each year as the Governor may fix.

19. मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिए जाएँगे। तब आयोग उम्मीदवारों के नाम योग्यता–क्रम से विन्यस्त करेगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवार संपूर्ण अंक बराबर प्राप्त करें, तो क्रम लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी सम्बद्ध उम्मीदवारों के अंक बराबर हों, तो क्रम वैकल्पिक पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार विन्यस्त उम्मीदवार–सूची में से आयोग स्थान–क्रम से उतने उम्मीदवारों को मनोनीत करेगा जितने राज्यपाल ने नियत किए हों। इस तरह किए गए मनोनयन, प्रति वर्ष राज्यपाल द्वारा नियत तारीख तक, राज्यपाल के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे।

20. The Commission shall , while submitting their recommendations under rule 19, consider the claims of qualified candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If the list of nominees submitted under rule 19 does not contain an adequate number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who may be appointed to the vacancies reserved for them, the Commission shall submit a supplementary list nominating a sufficient number of such candidates as in their opinion attain the required standard of qualifications and are in all respects suitable for appointment to the Service.

20. नियम 19 के अधीन अपनी सिफारिश करते समय आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के योग्यता–प्राप्त उम्मीदवारों के दावों पर विचार करेगा। यदि नियम 19 के अधीन उपस्थापित मनोनीत व्यक्तियों की सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के उम्मीदवारों की संख्या यथेष्ट न हो, जो उनके लिये रिक्तियों में नियुक्त किए जा सकते हों, तो आयोग एक अनुपूरक सूची उपस्थापित कर ऐसे उम्मीदवारों को काफी संख्या में मनोनीत करेगा जो उसकी राय में अपेक्षित योग्यतास्तर के हों और सभी दृष्टियों से सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त हों।

21. Success at the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service. The final selection of candidates shall be made by the Governor from amongst those nominated by the Commission.

21. परीक्षा में सफलता नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करती, जबतक कि आवश्यक जाँच के बाद सरकार का समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सभी तरह से सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त है। आयोग द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों में से राज्यपाल अंतिम चुनाव करेंगे।

22. Candidates selected for written or *viva voce* test will present themselves at their own expense at a time and place of which they will be informed in due course.

22. लिखित और मौखिक परीक्षा के लिये चुने गए उम्मीदवार अपने खर्च से ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित होंगे, जिनकी सूचना उन्हें यथा समय दी जाएगी।

23. A consolidated result of the examination will be prepared by the Commission and a copy of the marks obtained both at the written and the *viva voce* tests as well as copy of the printed table of the consolidated results shall be supplied individually to each candidate soon after the results are compiled and the list referred to in rule 19 is submitted to the Governor.

23. आयोग एक समेकित (इकट्ठा) परीक्षाफल तैयार करेगा और लिखित तथा मौखिक, दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की एक प्रतिलिपि तथा समेकित परीक्षाफलों की मुद्रित तालिका की एक प्रतिलिपि, परीक्षाफलों के संकलन एवं राज्यपाल को नियम 19 में उल्लेखित सूची के उपस्थापन के बाद शीघ्र हर उम्मीदवार को व्यक्तिशः दी जाएगी।

*24. A candidate appointed to the post of Munsif otherwise than on a temporary basis shall be appointed on probation in the first instance but will be eligible for confirmation as a Munsif subject to the conditions that—

(i) he has completed two years of service from the date of his first appointment.

(ii) he has passed such tests as may from time to time be prescribed in the Departmental Examination Rules, and

(iii) he is recommended by the High Court for such confirmation.

*24. अस्थायी से भिन्न आधार पर मुंसिफ के पद पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति प्रथमतः परीक्षा पर की जायेगी, किन्तु वह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मुंसिफ के रूप में सम्पुष्ट होने का पात्र होगा :–

(i) वह अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की सेवा पूरी कर ले,

(ii) वह ऐसी परीक्षायें पास कर ले जो विभागीय परीक्षा नियमावली में समय–समय पर विहित की जायें, और

(iii) उच्च न्यायालय उसकी सम्पुष्टि की अनुशंसा करे।

*Substituted vide Notification no. 18241-P, dated 29th September 1972.

*अधिसूचना सं० 18241–पी., दिनांक 29 सितम्बर 1972 के अनुसार प्रतिस्थापित।

*25. A candidate appointed on a temporary basis shall have to undergo all the training for the post as if he were appointed on a substantive basis.

*25. अस्थायी आधार पर नियुक्त उम्मीदवार को भी उस पद के सभी प्रशिक्षण लेने होंगे मानो उसकी नियुक्ति मौलिक आधार पर हुई हो।

*26. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Rules, a Munsif appointed on temporary basis shall be eligible for permanent appointment to the Service without there being any upper age limit subject to the conditions that—

(i) he has completed two years of service from the date of his first appointment,

(ii) he has passed such tests as may from time to time be prescribed in the Departmental Examination Rules, and

(iii) he is recommended by High Court for such permanent appointment .

*26. इस नियमावली में कोई विपरीत बात होने पर भी, अस्थायी आधार पर नियुक्त मुंसिफ, ऊपरी आयु–सीमा के बावजूद, निम्नलिखित शर्त्तों के अध्यधीन सेवा में स्थायी नियुक्ति का पात्र होगा :–

(i) वह अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की सेवा पूरी कर चुका हो,

(ii) वह ऐसी जाँच–परीक्षायें पास कर चुका हो, जो विभागीय परीक्षा नियमावली में समय–समय पर विहित की जाय, और

(iii) उच्च न्यायालय उसकी स्थायी नियुक्ति की अनुशंसा करे।

27. No recommendations except those received in accordance with these Rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support for his appointment through persons of influence or in any other manner will disqualify him for appointment.

27. इस नियमावली के अनुसार प्राप्त सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर विचार न किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रभावशाली व्यक्तियों के जरिये अथवा किसी अन्य रीति से अपनी नियुक्ति के लिये पैरवी कराने की चेष्टा करेगा, तो वह नियुक्ति के अयोग्य हो जाएगा।

By order of the Governor of Bihar,
V. BALASUBRAHMANYAN
Add. Deputy Secretary.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बै० बालसुब्रह्मण्यन,
अपर उप–सचिव।

*Substituted vide Notification no. 18241-P. dated 29th September 1972

*अधिसूचना सं० 18421–पी०, दिनांक 29 सितम्बर 1972 के अनुसार प्रतिस्थापित।

APPENDIX "A"

*LIST OF SCHEDULED CASTES IN BIHAR.

1. The castes, races or tribes or parts of or groups within castes or tribes specified below shall be deemed to be Scheduled Castes in the State of Bihar in the localities specified in relation to them.

2. No person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

*3. Any reference to a district or other territorial division of the State shall be construed as a reference to that district or other territorial division, constituted as from the 1st day of November 1956.

(i) Throughout the State of Bihar—

(1) Bantar.

(2) Bauri.

(3) Bhogta.

(4) Chamar or Mochi.

(5) Chaupal.

(6) Dabgar.

(7) Dhobi.

(8) Dom or Dhangad.

(9) Dusadh, including Dhari or Dharhi.

(10) Ghasi.

(11) Halalkhor.

(12) Hari(Mehtar or Bhangi).

(13) Kanjar.

(14) Kurariar.

(15) Lalbegi.

(16) Musahar.

(17) Nat.

(18) Pan.

(19) Pasi.

(20) Rajwar .

(21) Turi.

(ii) In Patna and Tirhut divisions and the districts of Monghyr, Bhagalpur, Purnea and Palamau—Bhumij.

(iii) In Patna, Shahabad, Gaya and Palamau districts—Bhuiya.

---

* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 (Vide the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, dated 29th October 1956).

*LIST OF SCHEDULED TRIBES IN BIHAR.

1. Throughout the State of Bihar—

(1) Asur.

(2) Baiga.

(3) Banjara.

(4) Bathudi.

(5) Bedia.

(6) Binjhia.

(7) Birhor.

(8) Birjia.

(9) Chero.

(10) Chik Baraik.

(11) Gond.

(12) Gorait.

(13) Ho.

(14) Karmali.

(15) Kharia.

(16) Kharwar.

(17) Khond.

(18) Kisan.

(19) Kora.

(20) Korwa.

(21) Lohara or Lohra.

(22) Mahli.

(23) Mal Paharia.

(24) Munda.

(25) Oraon.

(26) Parhaiya.

(27) Santal.

(28) Souria Paharia.

(29) Savar.

2. In the districts of Ranchi, Singhbhum, Hazaribagh, Santal Parganas and Manbhum— Bhumij.

---

*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 (Vide the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, dated 29th October 1956).

Note : Any Reference to a district or other territorial division of the State shall be construed as a reference to the district or other territorial division constituted as from the 1st day of November 1956.

परिशिष्ट "क"

*बिहार की अनुसूचित जातियों की सूची

1. निम्नलिखित जातियाँ, मूलवंश या जन–जातियाँ अथवा जातियों या जन–जातियों के अंग या अन्तर्गत समूह, बिहार राज्य में, उनके संबंध में उल्लिखित इलाकों में, अनुसूचित जातियाँ समझी जायेंगी।

2. हिन्दू–धर्म से भिन्न धर्म को माननेवाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जायेगा।

*3. राज्य के किसी जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाग के प्रति निर्देश 1 नवम्बर, 1956 से गठित जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाग के प्रति निर्देश माना जायेगा।

(i) संपूर्ण बिहार राज्य में–

(1) बांतर।

(2) बाउरी।

(3) भोगता।

(4) चमार या मोची।

(5) चौपाल।

(6) दवगर।

(7) धोबी।

(8) डोम या धनगद।

(9) दुसाध (धारी या धरही सहित)।

(10) घासी।

(11) हलालखोर।

(12) हाड़ी (मेहतर या भंगी सहित)।

(13) कंजर।

(14) कुररियार।

(15) लालबेगी।

(16) मुसहर।

(17) नट।

(18) पान या स्वासी।

(19) पासी।

(20) रजवार।

(21) तूरी।

(ii) पटना और तिरहुत प्रमंडलों तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया तथा पलामू जिलों में – भूमिज।

(iii) पटना, शाहाबाद, गया और पलामू जिलों में – भूइयां।

---

* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956

* बिहार की अनुसूचित जन–जातियों की सूची

1. संपूर्ण बिहार राज्य में–

(1) असुर।

(2) बेगा।

(3) बनजरा।

(4) बथुदी।

(5) बेदिया।

(6) बिंझिया।

(7) बीरहोर।

(8) बिरजिया।

(9) चेरो।

(10) चीक बड़ाइक।

(11) गोंड।

(12) गोड़ाइत।

(13) हो।

(14) करमाली।

(15) खड़िया।

(16) खरवार।

(17) खोन्द।

(18) किसान।

(19) कोड़।

(20) कोरवा।

(21) लोहारा या लोहरा।

(22) महली।

(23) माल पहाड़िया।

(24) मुंडा।

(25) उरांव।

(26) परहैया।

(27) संताल।

(28) सौरिया पहाड़िया।

(29) सेवार।

2. राँची, सिंहभूम, हजारीबाग, संताल परगना और मानभूम जिलों में– भूमिज।

*अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956

टिप्पणी– राज्य के किसी जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाग के प्रति निर्देश 1 नवम्बर 1956 से गठित जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाग के प्रति निर्देश माना जाएगा।

APPENDIX "B"

INSTRUCTIONS GOVERNING REFUND OF ADMISSION AND EXAMINATION FEES.

1. Application fee will not ordinarily be refunded. If however for any reason a candidate is unable to sit at the examination half of the examination fee may be refunded on application to the Secretary to the Commission:

Provided that the Secretary to the Commission may sanction refund of–

(i) 90 per cent of the fees paid when a candidate after paying the fees does not submit an application;

(ii) Whole of the application and /or examination fee paid, as the case may be, where an alteration is made in the terms of advertisement or in the conditions of recruitment so that the candidate who would otherwise have been eligible becomes ineligible due to such alteration; and

(iii) Whole of the application and /or examination fees paid as the case may be , if the vacancies advertised are decided by Government to be abolished or kept in abeyance before or after the candidates are interviewed.

परिशिष्ट "ख"

प्रवेश और परीक्षा फीसों की वापसी संबंधी अनुदेश।

1. आवेदन–फीस आमतौर से वापस न की जाएगी। हाँ, यदि कोई उम्मीदवार किसी कारण से परीक्षा में न बैठ सके, तो आयोग–सचिव के पास आवेदन करने पर आधी परीक्षा–फीस वापस की जा सकेगी :

परन्तु आयोग–सचिव निम्न रकम की वापसी मंजूर कर सकेंगे :–

(i) जब उम्मीदवार फीस चुकाने के बाद आवेदन उपस्थापित न करे तब चुकाई गई फीस का 90 प्रतिशत,

(ii) जहाँ विज्ञापन के बंधेजों या भरती की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाय कि वह उम्मीदवार, जो अन्यथा पात्र होता, ऐसे परिवर्तन के कारण अपात्र हो गया हो, वहाँ, यथास्थिति, चुकाई गई समूची आवेदन और/या परीक्षा–फीस; तथा

(iii) यदि सरकार, उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद या पहले विज्ञापित रिक्तियों को उठा देने या रोक रखने का निर्णय करे, तो यथास्थिति, समूची आवेदन और/या परीक्षा–फीस।

APPENDIX "C"

SYLLABUS FOR THE COMPETITIVE EXAMINATION PRESCRIBED UNDER RULE 14 OF THE BIHAR JUDICIAL SERVICE (RECRUITMENT) RULES, 1955

[Questions in all non- language subjects may be answered either in English or in Hindi (in Devanagri script).]

Subjects		Marks
1. *Compulsory*—		
(1) General knowledge (including current affairs)	—	150
(2) Elementary General Science	—	100
*(3) General Hindi	—	100

This compulsory paper will be a qualifying subject in which all candidates shall be required to secure a minimum of 30 marks but the marks secured in this paper will not be added for the purpose of determination of merit.

*Resolution no. 6848 A dated the 24th April, 1971

2. *Optional*—Candidates must appear in subject no. 4 and select any three out of the remaining five subjects—

(4)	Law of Evidence and Procedure	—	150
(5)	Constitutional Law of India and England	—	150
(6)	Hindu Law and Muhammadan Law	—	150
(7)	Law of Transfer of Property and Principles of Equity including Law of Trusts and Specific Relief.	—	150
(8)	Law of Contracts and Torts	—	150
(9)	Commercial Law	—	150
3.	*Viva voce test*	—	200

परिशिष्ट "ग"

बिहार न्यायिक सेवा (भरती) नियमावली, 1955 के नियम 14 के अधीन विहित प्रतियोगिता–परीक्षा की पाठ्य–सूची।

[सभी भाषा–भिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि में) दिये जा सकते है।]

विषय		अंक
1. अनिवार्य–		
(1) सामान्य ज्ञान (जेनरल नॉलेज) सामयिक विषयों के सहित	—	150
(2) आरंभिक सामान्य ज्ञान	—	100
*(3) सामान्य हिन्दी	—	100

यह अनिवार्य पत्र एक क्वालिफाइंग विषय के रूप में रहेगा जिसमें सबों को 30 न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा किन्तु इस पत्र में प्राप्त अंक अधिमान निर्धारण प्रयोजनार्थ जोड़े नहीं जायेंगे।

2. वैकल्पिक– उम्मीदवार को विषय सं० 4 में अवश्य परीक्षा देनी होगी और शेष पाँच विषयों में से किन्हीं तीन को चुनना होगा–

(4) साक्ष्य एवं प्रक्रिया–विधि (लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसिड्योर)	—	150
(5) भारत और इंग्लैंड की संविधान विधि (कंस्टिट्यूशनल लॉ)	—	150
(6) हिंदू विधि और मुस्लिम विधि	—	150
(7) संपत्ति–हस्तान्तरण–विधि (लॉ ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी) तथा न्याय एवं विशिष्ट साहाय्य–विधि (लॉ ऑफ ट्रस्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ) के सहित न्यायता (इक्विटी) के सिद्धांत	—	150
(8) संविदा एवं जिह्म–विधि (लॉ ऑफ कन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स)	—	150
(9) वाणिज्य–परीक्षा (कामर्शियल लॉ)	—	150
3. मौखिक परीक्षा	—	200

* संकल्प सं० 6848–नि०, दिनांक 24 अप्रील 1971

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. *General English*– Questions will be set to test the under- standing of and the power to write English. A passage or passages will usually be set for summary or precis. Questions will include letter- writing on given subjects.

2. *General Knowledge (including knowledge of current events)*— The paper will also include questions on Indian History Culture and Geography of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

3. *Elementary General Science*– A paper of questions to test such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made as special study of any scientific subject.

4. *General Hindi*– The paper will be of a general character to test a candidate's ability to understand and write Hindi grammatically and correctly. Candidates will be asked to write an essay or to give a descriptive account of something . A prose passage will also be set for summary or precis with the object of testing comprehension of expression.

5. *Law of Evidence and Procedure:*–

Indian Evidence Act (I of 1872)

Civil Procedure Code (V of 1908)

Arbitration Act of 1940

Criminal Procedure Code (V of 1898)

Provincial Small Cause Courts Act of 1887

6. *Constitutional Law of India and England*–

(a) Government of India Act, 1935

Indian Independence Act, 1947

Constitution of India

(b) *Constiutional Law of England*–

Sovereignty of Parliament, Rule of Law, Prerogative, Parliamentary Privilege, Judicial Control of Public Authorities, Remedies against the Crown, Administrative Law, Allegiance and Nationality, Acts of State, Martial Law, Freedom of Speech, Right of Meeting.

The subject may be studied in (a) Dicey's Law of the Constitution and (b) Ridges' Constitutional Law.

7. *Hindu Law and Muhammadan Law*–

A–Hindu Law

Nature of Sources—Different schools, Marriage, Sonship Adoption, Joint Family and Joint Property, Impartible Estates, Debts, Alienation, Partition, Succession, Stridhan, Widow's Estate, Wills, Gifts, Religious and Charitable Endowments.

B–Muhammadan Law

Sources of Muslim Law, origin and development of the different schools, Extent of its application in India, Shariat Act of 1937, Effects of conversion to Islamic religion, Succession and administration, Wills, Heba, Heba-Bil-Ewaz, Wakfs, Maintenance, Parentage—Legitimacy and Acknowledgment, Guardianship.

8. *Law of Transfer of Property and Principles of Equity including the Law of Trusts and Specific Relief*–

A–Law of Transfer of Property

Act IV of 1882 (Transfer of Property Act)

B—Principles of Equity including the Law of Trusts and Specific Relief.

History of Court of Equity, Maxims, Origin of Use, Development of Trust from Use, Definition of Trust, Formalities for Creation of Trust, Classification of Trust, Express, Implied, Resulting, Constructive, Private and Public, Benami Transactions, Doctrine of Advancement, Charitable Trust, Comparison with Debottur, Rights and Duties of Trustees, Determination of Trust, Remedies for Breach of Trust, Specific Relief Act (I of 1877)

Indian Trusts Act (II of 1882)

9. *Law of Contracts and Torts—*

A—Law of Contracts

Act X of 1872 (Indian Contract Act)

B—Law of Torts

The nature of a Tort. General Principles of Liability. Parties, Remedies, Nuisance. Injuries to person Death, Assault, False Imprisonment, Injuries to Domestic and Contractual Relations, Wrongful Dismissal, Defamation, Negligence. Liability for Dangerous Property. The Rule in Rylands u. Fletcher, Deceit. Conspiracy, Malicious Prosecution.

10. *Commercial Law*—The main principles of law relating to (a) sale of Goods, (b) Negotiable Instruments (c) Company Law and (d) Partnership.

परीक्षा की पाठ्य–सूची

1. सामान्य अंग्रेजी–अंग्रेजी समझने तथा लिखने की शक्ति जाँचने के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। साधारणतः संक्षेप या परिसंक्षेप (प्रेसी) के लिए एक या अनेक संदर्भ दिए जाएँगे। प्रश्नों में निर्दिष्ट विषयों पर पत्र–लेखन भी रहेगा।

2. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं के ज्ञान सहित)– इस पत्र में भारतीय इतिहास, संस्कृति और भूगोल के इस ढंग के प्रश्न भी रहेंगे जिनके उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के दे सकें।

3. आरंभिक सामान्य विज्ञान–किसी शिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किये हों, दैनन्दिन अवलोकन और अनुभव के आधार पर विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं की जितनी जानकारी की आशा की जा सकती है, उसकी जाँच के लिए इस पत्र में प्रश्न रहेंगे।

4. सामान्य हिन्दी– यह एक सामान्य ढंग का पत्र होगा जिससे हिन्दी सही और व्याकरण–सम्मत रूप में समझने और लिखने की उम्मीदवार की योग्यता जाँची जाएगी। उम्मीदवार को एक लेख या किसी वस्तु का वर्णनात्मक विवरण लिखने के लिए कहा जाएगा। समझ–बूझ या अभिव्यक्ति की जाँच के उद्देश्य से संक्षेप या परिसंक्षेप के लिए एक गद्य–संदर्भ भी रहेगा।

5. साक्ष्य एवं प्रक्रिया–विधि–

भारतीय साक्ष्य–अधिनियम (संख्या 1,1872)

व्यवहार–प्रक्रिया संहिता (संख्या 5,1908)

मध्यस्थता–अधिनियम, 1940

दंड–प्रक्रिया–संहिता (संख्या 5, 1898)

प्रान्तीय (राज्य) लघुवाद–न्यायालय–अधिनियम, 1887।

6. भारत और इंग्लैंड की संविधान–विधि–

(क) भारत–सरकार अधिनियम, 1935

भारत—स्वतंत्रता—अधिनियम 1947

भारत—संविधान

(ख) इंग्लैण्ड की संविधान—विधि—

संसद की प्रभुता, विधि का शासन, परमाधिकार, सांसद् विशेषाधिकार, लोक—प्राधिकारों का न्यायिक नियंत्रण, सम्राट के विरुद्ध प्रतिकार, प्रशासनिक विधि, राज निष्ठा तथा राष्ट्रीयता, राज्य—क्रिया, सेना विधि, वाक् स्वातंत्र्य, सम्मिलन—अधिकार।

इस विषय के लिये पठनीय पुस्तकें—

(क) डाइसी—लॉ ऑफ दि कंस्टीट्यूशन और

(ख) रिजेज—कंस्टीट्यूशनल लॉ

7. हिन्दू—विधि और मुस्लिम—विधि—

(क) हिन्दू विधि—

विधि के स्रोत, विभिन्न शाखाएँ, विवाह, पुत्रत्व, गोद लेना, संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति, अविभाज्य भू—संपदा, ऋण, स्वत्वांतरण, बँटवारा, उत्तराधिकार, स्त्रीधन, विधवा—संपदा, वसीयत, प्रतीदान, धर्मस्व एवं पूर्त धर्मस्व।

(ख) मुस्लिम—विधि—

मुस्लिम विधि के स्रोत, विभिन्न शाखाओं का उद्गम और विकास, भारत में इसके लागू होने की सीमा, शरियत अधिनियम, 1937, मुस्लिम धर्म में परिवर्त्तन के प्रभाव, उत्तराधिकार और प्रशासन, वसीयत, हिब्बा—बिल—एवज, वक्फ, पोषण (खोरिश), पितृता—औरसता (वैधता) और अभिस्वीकार, अभिभावकत्व।

8. संपत्ति हस्तान्तरण विधि तथा न्याय एवं विशिष्ट साहाय्य—विधि के सहित न्याय्यता के सिद्धांत—

(क) संपत्ति हस्तान्तरण विधि—

अधिनियम 4,1882 (संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम)

(ख) न्यास एवं विशिष्ट साहाय्य—विधि के सहित न्याय्यता के सिद्धान्त—न्याय्यता न्यायालय का इतिहास। सूत्र। उपयोग (यूज) का उद्गम। उपयोग से न्यास का विकास। न्यास की परिभाषा। न्यास—सृजन की औपचारिकताएँ। न्यास का वर्गीकरण, व्यक्त, अव्यक्त; परिणामी, प्रलक्षित, गैर—सरकारी और सरकारी। बेनामी व्यवहार। अग्रिम दान (एडवान्समेंट) का सिद्धान्त। पूर्त न्यास। देवोत्तर के साथ तुलना। न्यासियों के अधिकार और कर्त्तव्य। न्यास का अन्त। न्यास—भंग (विश्वासघात) के लिए प्रतिकार।

विशिष्ट साहाय्य अधिनियम (संख्या 1, 1887)

भारतीय न्यास अधिनियम (संख्या 2, 1882)

9. संविदा एवं जिह्म—विधि (लॉ ऑफ कन्ट्रैक्ट्स एंड टोर्ट्स)—

(क) संविदा विधि—

अधिनियम 10, 1872 (भारतीय संविदा अधिनियम)

(ख) जिह्म—विधि (लॉ ऑफ टोर्ट्स)—

जिह्म (टॉर्ट) का स्वरूप। दायित्व के सामान्य सिद्धान्त। पक्ष, प्रतिकार, निदूषण, शरीरघात—मृत्यु, हमला, अवैध कारावास, घरेलू और संविदात्मक सम्बन्धों पर आघात, दोषपूर्ण बर्खास्तगी, मानहानि, प्रमाद। भयावह संपत्ति के लिए दायित्व। राइलैंड बनाम फ्लेचर में विधि—नियम। धोखा। षड्यंत्र। विद्वेषपूर्ण अभियोजन।

10. वाणिज्य—विधि—

(क) माल की बिक्री, (ख) परक्राम्य लिखतें, (ग) कम्पनी—विधि और (घ) साझेदारी सम्बन्धी विधि के मुख्य सिद्धान्त।